(44)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1385-तीन/2014 - विरूद्ध आदेश दिनांक 8-3-2014 - पारित द्वारा - तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा - प्रकरण क्रमांक 32 अ-27/2013-14

अरूण कुमार पुत्र राममिलन शुक्ला
निवासी बाबूपुर तहसील हुजूर जिला रीवा ---आवेदक

विरूद्ध

1- शिवकुमार पुत्र राममिलन शुक्ला
2- राममिलन पुत्र स्व.मोहनराम शुक्ला
निवासी बाबूपुर तहसील हुजूर जिला रीवा
2- म0प्र0शासन ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक अनिल तिवारी)
(अनावेदक 1,2 के अभिभाषक श्री जी0पी0मिश्रा)

आ दे श

(आज दिनांक 19-06-2018 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 32 अ-27/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 8-3-14 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क-1 ने तहसीलदार हुजूर को म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 178, 109, 110 के अंतर्गत आवेदन देकर ग्राम बाबूपुर के खसरा कमांक 208/4 की भूमि के बटवारे की मांग की। तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा ने प्रकरण कमांक 32 अ-27/2013-14 पॅजीबद्ध करते हुये कार्यवाही प्रारंभ की, जिस पर आवेदक ने व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 11 के अंतर्गत आपत्ति प्रस्तुत करते हुये

बटवारे का प्रकरण प्रचलन योग्य न होना बताया। तहसीलदार हुजूर ने आपत्ति आवेदन पर अंतरिम आदेश दिनांक 8-3-14 पारित किया तथा आवेदक का आपत्ति आवेदन निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि तहसीलदार हुजूर के न्यायालय में आवेदक एंव अनावेदक कमांक-2 के बीच धारा 109, 110 एंव 178 के अंतर्गत खसरा कमांक 208/1 रकबा 0.15 ए. ग्राम बाबूपुर के विभाजन का प्रकरण कमांक 22 अ 27/2002-03 चला था जिसमें पारित आदेश दिनांक 30-4-11 से यह वाद निरस्त हुआ है और इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर रीवा के यहां निगरानी कमांक 299 अ 27/10-11 प्रस्तुत हुई है जो निरस्त हुई है उन्हीं आधारों पर तहसील न्यायालय में पुनः बटवारे का प्रकरण नहीं चलाया जा सकता। इसके वाद भी तहसीलदार ने अंतरिम आदेश दिनांक 8-3-14 से आवेदक के आपत्ति आवेदन को निरस्त करने में भूल की है।

अनावेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि पूर्व का प्रकरण कमांक 26 अ 70/07-08 निर्णय दिनांक 13-3-2008 के मुकदमे में अरूणकुमार पुत्र राममिलन बनाम शिवकुमार पुत्र राममिलन है जो धारा 131 म0प्र0 भू राजस्व संहिता सहपठित धारा 32 भूमि नंबर 208/4 के जुज भाग में रास्ता व पानी के बहाव के संबंध में है जिसका बटवारा प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। एंव तत्कालीन तहसीलदार ने आदेश दिनांक 30-4-11 में आवेदक को स्वत्व घोषित कराने का निर्देश दिया है । उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि शिवकुमार शुक्ला एंव राममिलन के बीच तहसील न्यायालय में प्रकरण कमांक 22 अ 27/02-03 चला है एंव अ-27 मद बटवारे का है, जो भूमि सर्वे कमांक 208/1 के विवाद पर है। इसी प्रकरण की तत्का. तहसीलदार व्दारा लिखी गई आर्डरशीट दिनांक 30-4-11 है जिसके अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस

आदेश पत्रिका का अवलोकन किये बिना तहसीलदार तहसील हुजूर ने अंतरिम आदेश दिनांक 8-3-14 पारित किया है जो आपत्ति आवेदन के तथ्यों एंव विपक्ष व्दारा दिये गये उत्तर की विस्तृत विवेचना पर आधारित नहीं है जिसे Speaking Order नहीं माना जा सकता, जिसके कारण तहसीलदार का अंतरिम आदेश दिनांक 8-3-14 अपूर्ण आदेश की श्रेणी में होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 32 अ-27/ 2013-14 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 8-3-14 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव तहसीलदार हुजूर को निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त विवेचना में आये तथ्यों पर पुर्नविचार करते हुये तथा पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर पुनः बोलता हुआ आदेश Speaking Order पारित करें।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर